

प्रेस नोट दिनांक - 07.03.2021

इटावा पुलिस द्वारा दिनांक 27.02.201 को थाना बढपुरा क्षेत्रन्तर्गत हुयी दुर्घटना में मृतक व्यक्ति को घटना स्थल से जिला अस्पताल ले जाते समय उसके निजी सामान रुपए, एटीएम कार्ड, चैन (पीली धातू), अन्य सामान को निकालने वाले एम्बुलेंस चालक व परिचालक को गिरफ्तार किया गया ।

जनपद में अपराध एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा व क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर के नेतृत्व में थाना बढपुरा पुलिस द्वारा दिनांक 27.02.2021 को थाना बढपुरा क्षेत्रन्तर्गत हुयी दुर्घटना में मृतक व्यक्ति को घटना स्थल से जिला अस्पताल ले जाते समय उसके निजी सामान रुपए, एटीएम कार्ड, चैन (पीली धातू), अन्य सामान को निकालने वाले एम्बुलेंस चालक व परिचालक को गिरफ्तार किया गया ।

#### गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.03.2021 को वादी कुंअर रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व0 जंगबहादुर सिंह निवासी कस्बा व थाना बीघापुर जनपद उन्नाव द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 27.02.2021 को मेरा भतीजा सुनील कुमार सिंह उर्फ लल्लन जो कि बुलेरो गाडी यूपी 35 एक्स 1700 से अपने परिवार के साथ उन्नाव से ग्वालियर जा रहा था तभी रास्ते में जनपद इटावा के थाना बढपुरा क्षेत्र के ग्राम कामेत पास रामकृष्ण होटल के पास सोनालिका ट्रेक्टर चालक द्वारा लापरवाही से बुलोरो गाडी में टक्कर मार दी गयी थी जिसमें की मेरे भतीजे की मृत्यु हो गयी थी तथा अन्य घायल परिजनों को अस्पताल भेजा गया । जिसमें कि मृतक पास एटीएम कार्ड, डीएल, व पर्स मे रखे 20,000 रुपए व 01 चैन कहीं गायब हो गए है तथा दिनांक 28.02.2021 को मृतक सुनील कुमार के pay-tm से कुल 45000 रुपए निकाल लिए गए थे । वादी की तहरीर के आधार पर थाना बढपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 19/21 धारा 279,338,304-ए,427 भादवि अभियोग पंजीकृत किया

गया था । उक्त सामान की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना बढपुरा से पुलिस टीम का गठन किया गया था ।

इसी क्रम में आज दिनांक 07.03.2021 को पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 27.02.2021 को ग्राम कामेत के पास हुए एक्सीडेन्ट में बुलेरो चालक सुनील कुमार की मृत्यु हो गयी थी जिसे एम्बुलेंस 108 जिसका न0. यूपी 41 जी 0798 द्वारा उसे जिला अस्पताल ले जाया गया था उसी एम्बुलेंस के चालक व परिचालक द्वारा ही मृतक सुनील कुमार का पैसा व अन्य सामान निकाल लिया गया था जो कि आज दोनो कुण्डेश्वर से उदी की तरफ आ रहे है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर पहुची तो कुछ देर बाद पुलिस टीम को दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए । पुलिस टीम को देखकर दोनो व्यक्तियों द्वारा भागने का प्रयास किया तो पुलिस टीम द्वारा उन दोनो अभियुक्तों को आवश्यक बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया । पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों की तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक मोबाइल, एक एटीएम कार्ड, एक आधार कार्ड, एक डीएल, एक बिग बाजार कार्ड, एक दिल्ली मेट्रो कार्ड व 44700 रुपए नगद बरामद किए गए

**पुलिस पूछताछ-** पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि यह सामान मृतक सुनील कुमार का है एवं हमारे द्वारा उसके मृतक सुनील कुमार के पे-टीएम से 45000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे जिन्हे हम लोगो द्वारा आपस में बांट लिया गया था ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. संजीव कुमार पुत्र रमेश चन्द्र निवासी बढपुरा थाना बढपुरा (चालक)
2. शोभित कुमार पुत्र सुरेन्द्र सिंह यादव निवासी कनपुरा थाना तिर्वा जनपद कन्नौज ( परिचालक)

### **बरामदगी-**

1. 44700 रुपए नगद (मृतक के)
2. एक मोबाइल
3. एक एटीएम कार्ड
4. एक आधार कार्ड,
5. एक डीएल
6. एक बिग बाजार कार्ड
7. एक दिल्ली मेट्रो कार्ड

**पुलिस टीम-**

व0उ0नि0 श्री बृजेश कुमार थानाध्यक्ष बढपुरा जनपद इटावा मय टीम ।

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
इटावा ।